इकाई 14 सत्ता और प्राधिकार

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 सत्ता : संकल्पना का अर्थ
14.2.1 सत्ता व अन्य सदृश्य प्रसंगों के बीच भेद
14.2.2 सत्ता के निहित अर्थ
14.3 सत्ता सिद्धांत
14.3.1 उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत
14.3.2 मार्क्सवादी सिद्धांत
14.3.3 सत्ता पर माइकल फूको के विचार
14.4 प्राधिकार क्या है?
14.5 प्राधिकार का वर्गीकरण
14.6 सत्ता व प्राधिकार संबंधी धारणाओं के बीच भेद
14.6.1 प्राधिकार के निहित अर्थ
14.7 सारांश
14.8 शब्दावली
14.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप पायेंगे मौलिक अनुसंधान का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रः यथा सत्ता और प्राधिकार। यही है राजनीतिक विचारधारा का केन्द्रीय विषय। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि :

- सत्ता की अवधारणा को विभिन्न शाखा-विन्यासों में समझ सकें
- सत्ता व संबंधित विषयों के बीच भेद कर सकें
- प्राधिकार की संकल्पना को स्पष्ट कर सकें और उसके प्रकार पहचान सकें
- सत्ता व प्राधिकार के सापेक्ष अर्थ को समझ सकें।

14.1 प्रस्तावना

हाल ही में, राजनीति-सिद्धांत के क्षेत्र में सत्ता की धारणा का बड़ा महत्त्व हो गया है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि राजनीति का अर्थ 'राज्य और सरकार संबंधी अध्ययन' से बदल कर 'सत्ता का अध्ययन' हो गया है। सत्ता ही विदेश-नीति का मुख्य लक्ष्य होता है। अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में, सत्ता ही अपने महत्त्वपूर्ण हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करने हेतु किसी राज्य की क्षमता है। सत्ता क्षमता में अनुमति व दबाव के प्रयोग में कौशल व तकनीकों के साथ-साथ अन्य राज्यों पर आधिपत्य जमाने हेतु मनाने, धमकाने अथवा कोई कार्य ज़बरदस्ती करवाने की क्षमता भी शामिल है। बेल्जियम और स्विट्ज़रलैण्ड संभवतः समान रूप से सुमेलित (matched) हैं,

परन्तु बेल्जियम और अमेरिका के बीच बेमेल स्पष्ट है। कुछ राज्यों का स्वरूप 'सम्पन्नों' वाला है और दूसरों का 'विपन्नों' वाला। पूर्ववर्ती भली प्रकार सत्ता-गुण सम्पन्न हैं, जबकि परवर्ती ''सम्पन्नों'' के विरुद्ध अपनी स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यह परिस्थिति सत्ता को संघर्ष करने संबंधी उसका अनिवार्य गुण प्रदान करती है।

हम सब जानते हैं कि एक व्यापक अर्थ में सत्ता क्या है। यूँ तो हम इसे अपने जीवन में हर जगह पाते हैं, फिर भी इसको परिभाषित करना मुश्किल है। सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांत देते समय, बरहाल, हम सत्ता व प्राधिकार की संकल्पनाओं को अधिक सटीक और स्पष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। इन आधारभूत संकल्पनाओं व परिभाषाओं को लेकर ही हम तदोपरांत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अन्य जटिल संकल्पनाओं को समझ सकते हैं।

14.2 सत्ता : संकल्पना का अर्थ

सत्ता को जीवन के विभिन्न स्तरों पर देखा जाता है - सरकारी प्रशासन, नौकरशाही, चुनाव, परिवार व समाज की संरचनाओं में। स्कूल में ग़लती करने वाले किसी छात्र को एक अध्यापक द्वारा डाँटे जाने, एक शक्तिशाली राज्य द्वारा अपने पड़ोसी अथवा किसी आतंकवादी संगठन द्वारा किसी ठिकाने पर बम बरसाये जाने के खिलाफ़ युद्ध किये जाने के उदाहरणों में सत्ता का प्रयोग होता है। अतः यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन उदाहरणों में सटीक रूप से क्या सर्वमान्य है और वे किस प्रकार इस संकल्पना को सही ठहराते हैं।

राजनीति-सिद्धांत में सत्ता ही केन्द्रीय विषय है, चाहे वह उस कानून में लिपटी हो जो योग्यता प्रदान करता है अथवा उस प्राधिकार में जो स्वेच्छापूर्वक उसकी आज्ञापालन करता है और उसे कायम रखता है। सत्ता शक्ति है, जो कानून के नाम पर राज्य द्वारा प्रयोग की जाती है। सत्ता राजनीति-सिद्धांत के प्रति केन्द्रिक है, क्योंकि वह राज्य के विषय में गंभीर होती है, जो कि शक्ति है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जो यथार्थवादियों से सम्बद्ध है। दूसरी ओर, वे विधिवेत्तागण जो राज्य को एक न्यायिक संस्था मानते हैं, दावा करते हैं कि राज्य से जुड़े अनिवार्य और उत्तम बल की धारणा यादृच्छिक (arbitrary) नहीं है; वरन् यह योग्यताप्राप्त बल है; और आसान शब्दों में, यह 'कानून के नाम पर' प्रयोग किया जाने वाला बल है। कारण यह है कि राज्य निश्चित प्रक्रियाओं व विदित नियमों के अनुसार प्रयुक्त सत्ता की धारणा से निकट से जुड़ा है। इस प्रकार, सत्ता कानून की भाषा में व्यक्त बल है; यह एक नियमित और एकरूप रीति में योग्यताप्रदत्त और व्यक्त बल है।

सत्ता की संकल्पना को और अधिक पुष्ट करने के लिए कानूनज्ञों ने राज्य की संकल्पना को उसे कुछ अनिवार्य सहजगुणों के साथ पहचान कर परिष्कृत किया है। अब इसके अनुसार, राज्य एक राजनीतिक समाज है और किसी प्रदत्त राजनीतिक समाज में, एक सर्वोच्च सत्ता होती है [सूमा पोटैस्टा (Summa Potestas), जैसा कि रोमन कानूनज्ञ सिसरो इसे पुकारते हैं] जिससे यह कानून उद्भूत होता है। यह सर्वोच्च सत्ता, जिसकी व्याख्या जॉन ऑस्टिन 'सम्प्रभुता' के रूप में करते हैं, राज्य को अन्य संस्थाओं से भिन्न करती है। सम्प्रभुता की संकल्पना का निहितार्थ यह है कि निर्णायक प्राधिकार सत्ता ही है। मुख्य बात यह है कि राज्य के भीतर एक संप्रभु सत्ता होती है जो, चाहे प्रजा के पास हो या फिर राजा के पास, कानून का स्रोत होती है। यह कानून द्वारा शर्तबन्द सत्ता होती है, चाहे उनके दृष्टिकोण से जिनके ऊपर यह प्रयोग की जाती है अथवा सत्ता के वास्तविक धारक के दृष्टिकोण से।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात जिसको यहाँ स्पष्ट किये जाने की ज़रूरत है, यह है कि संप्रभु सत्ता बलपूर्वक शासन को एक कानूनवत् शासन में बदल देती है। इस प्रकार हॉब्स राज्य को कोई बलप्रयोग की दृश्यघटना नहीं मानते हैं; वरन् एक सत्ता की दृश्यघटना मानते हैं, जिसकी संप्रभुता ही सर्वोच्च और सबसे महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। 'असभ्यावस्था' से 'सभ्य समाज' की ओर अवस्थान्तर गमन ही उस बलपूर्वक शासन से अवस्थान्तर गमन है, जहाँ कानून संबंधी कोई सुरक्षा नहीं होती, जहाँ मानवीय संबंध सुरक्षित होते हैं। साथ ही, ठीक जिस प्रकार राज्य विशुद्ध बलप्रयोग नहीं है, अतएव हॉब्स के अनुसार संप्रभुता मनमानी इच्छा नहीं है। संप्रभु प्रतिनिधि को लोगों की सुरक्षा मुहय्या कराने का दायित्व सौंपा जाता है। इस कारण से वह उस यथार्थ कारण की अवहेलना नहीं कर सकती है, जिसके लिये उसे संप्रभुता सौंपी गई है। इस प्रकार, प्राधिकरण, न कि आदतन आज्ञापालन, ही है जो संप्रभु बनाता है, जो बलप्रयोग को सत्ता में बदल देता है।

दो सदियों बाद, एलैक्ज़ैंडर हैमिल्टन ने पूछा, 'सत्ता क्या है, बस कुछ करने की योग्यता अथवा मानसिक शक्ति?' बीसवीं सदी-मध्य में, हैरॅल्ड लैसवैल और अब्राहम कप्लान ने सत्ता का अर्थ इस प्रकार लगाया – 'कृत्य... अन्य कार्यों को प्रभावित अथवा निर्धारित करते'। उसके कुछ ही समय पश्चात्, रॉबर्ट डाल ने सत्ता को इस रूप में परिभाषित किया – किसी दूसरे से कुछ करवाने की एक कर्ता की योग्यता ताकि परवर्ती 'अन्यथा न करे'। उसी समय, हालाँकि, हन्ना अरेन्द्त ने दावा किया कि सत्ता निस्संग अभिकर्त्ताओं अथवा कर्त्ताओं की ज़ायदाद नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने वाले समूहों अथवा समष्टियों की है।

जहाँ तक कि दूसरे लेखकों के दृष्टिकोणों का संबंध है, यह निश्चित रूप से इस संकल्पना का अर्थ अनेक पहलुओं में समझने में मदद करती है। फ्रेड्रिक के अनुसार, सत्ता 'एक विशेष प्रकार का मानवीय संबंध है', जबकि टॉनी के लिए, 'यह एक व्यक्ति अथवा समूह की क्षमता है, जिससे वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूसरों के व्यवहार को संयत करता है'। जबकि साम्यवादी नेता माओ ज़िडोंग सत्ता के बारे में सोचते थे कि ''बन्दूक की नली से निकलती है'', गाँधी जी, शान्ति के अग्रदूत, इसे प्रेम और सत्य की शक्ति के रूप में लेते थे। सत्ता यानी शक्ति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न बातों का श्रेय दिया जाता है। उदाहरण के लिए, हम आर्थिक शक्ति, सैन्य सत्ता, दिमागी ताकत, राजनीतिक/कार्यकारी सत्ता और सामाजिक शक्ति/सामर्थ्य की बात करते हैं। इन सब शक्ति-भेदों में प्रधान विषय का अर्थ है, 'योग्यता' अथवा 'क्षमता'। बहरहाल, हम एक सर्वमान्य व्यापक परिणाम निकालते हैं कि, सत्ता उन बाह्य प्रभावों व दबावों का कुल योग है जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह को एक अपेक्षित दिशा में चला सकती है।

14.2.1 सत्ता व अन्य सदृश्य प्रसंगों के बीच भेद

सत्ता का सटीक सम्पृक्तार्थ उस वक्त मुश्किल हो जाता है, जब यह शब्द अनेक संबद्ध विषयों के साथ अन्तर्विनिमेय (inter-changeable) हो जाता है, यथा नियंत्रण, प्रभाव, प्राधिकार, बलप्रयोग, प्रभुत्व, दमन इत्यादि। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह राजनीति-विज्ञान के छात्रों के लिए भ्रम पैदा कर सकती है, सत्ता व संबद्ध विषयों के बीच भेद के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

जैसे कि पहले चर्चा की गई, सत्ता ही जीतने की क्षमता है, अथवा व्यक्ति की दूसरों पर नियंत्रण करने की योग्यता। ऐसा करने में सत्ता धोखा, दाँवपेच, चालबाज़ी जैसे तत्त्वों पर आधारित हो सकती है, अथवा कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं से भी व्युत्पन्न की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ नहीं, केवल एक सत्ता-संघर्ष संबंधी अभिव्यक्ति है।

बलप्रयोग, दूसरी ओर, सत्ता से भिन्न होता है। सत्ता की क्रूरतम अभिव्यक्ति यही है। शारीरिक बलप्रयोग में शामिल तकनीकें हैं - निग्रह (restraint), दमन, धमकी, डाँट-डपट, भयदोहन (blackmail), आतंकवाद और सैन्य प्रभुत्व। अतः सत्ता को अव्यक्त बलप्रयोग कहा जाता है, जबकि बलप्रयोग अभिव्यक्त सत्ता है।

यदि बलप्रयोग एक सिरे पर खड़ा है तो, **प्रभाव** दूसरे सिरे पर। यह सत्ता के उदात्तीकरण (sublimation) को दर्शाता है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा, बौद्धिक व आत्मिक गौरव, उच्च नैतिकता, इत्यादि के कारण हो सकता है। अतः, जबकि प्रभाव विश्वासोत्पादक होता है, सत्ता दमनकारी होती है।

अब **प्राधिकार** की धारणा पर आते हैं, जो कानूनी व परंपरागत प्रतिबंधों के माध्यम से सत्ता के नीति-संगतीकरण एवं वैधीकरण को इंगित करता है। यह अनिवार्य रूप से संस्थागत विधिसंग्रह है, जिसके भीतर एक माध्यम रूप में सत्ता-प्रयोग को आयोजित किया जाता है और विधि-सम्मत बनाया जाता है। प्राधिकार की संकल्पना संबंधी एक विस्तृत विश्लेषण इस इकाई में तदोपरांत किया जायेगा।

अंततः, सत्ता से संबद्ध एक विषय के रूप में **नियंत्रण** की बात भी अपना भिन्न लक्षण रखती है, जो सत्ता से भिन्न है। नियंत्रण एक भिन्न प्रकृति का हो सकता है - जैसे विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय इत्यादि। नियंत्रण के मुकाबले सत्ता अधिक प्रचण्ड होती है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि 'सत्ता' शब्द के अर्थ में इस भिन्नता के कारण ही इसका व्यापक अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

14.2.2 सत्ता के निहित अर्थ

अब तक जो चर्चा की गई उसके अनुसार, सत्ता की संकल्पना विषयक कुछ निहितार्थ एकत्र किए जा सकते हैं :

- सत्ता को महज़ एक राजनीतिक अथवा आर्थिक ढाँचे में नहीं सीमाबद्ध किया जा सकता; यह एक व्यापक रूप में सामाजिक दृश्यघटना है।
- प्रभाव, नियंत्रण, प्राधिकार, प्रतिष्ठा, अधिकार इत्यादि जैसी अन्य संकल्पनाओं से सत्ता की भिन्नता हमें सत्ता-संबंधी संकल्पना को अधिक सटीक रूप से और बारीकी से समझने में सक्षम बनाती है, जो राजनीति-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो जाता है।
- सत्ता अव्यक्त बल है, बल सुव्यक्त सत्ता है, और प्रधिकार संस्थापित सत्ता है।
- सत्ता विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप में दिखाई पड़ती है, चाहे वो एक औपचारिक संगठन के रूप में हो, या फिर एक अनौपचारिक संगठन में अथवा एक संगठित/असंगठित समाज में।
- सत्ता संख्याओं (विशेषतः बहुमत), सामाजिक संगठन एवं स्रोतों के सम्मिलन में बसती है। यही है सत्ता का स्रोत।

14.3 सत्ता सिद्धांत

यह कहना कि राज्य एक संप्रभुसत्ता है, यह कहना है कि इसके नियमों, विनियमों एवं कानूनों के पास एक अंतिम प्राधिकार है। किसी भी अधिक निर्णायक नियम-समूह के लिए उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। दूसरे शब्दों में, राज्य के भीतर अन्य संस्थाओं द्वारा

बनाए गए नियम राज्य के शासन प्राधिकार के अधीन होते हैं। संप्रभुता का यह सत्ता-सिद्धांत लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले राजनीति-सिद्धांतियों द्वारा माना जाता है, क्योंकि राजनीति के किसी भी औचित्य को जिसके लिए हमें राजनीतिक संप्रभुता संबंधी संकल्पना की आवश्यकता होती है, कानूनी प्रधिकार की बजाय सत्ता के शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कानूनी संप्रभुता राज्य को एक अन्तिम कानूनी प्राधिकार मानती है।

नैतिक दृष्टिकोण से, हम यह कहते हैं कि राज्य के कानूनों के पास अन्तिम प्रधिकार नहीं होता, यदि व्यक्ति का विवेक यह कहता है कि उसे कोई कानून विशेष नहीं मानना चाहिए, तब एक नैतिक दृष्टिकोण से, वह आज्ञापालन का हकदार है; कारण यह है कि अधिकतर नीतिगत मामलों में अन्तिम प्राधिकार अन्तःकरण ही होता है, जब वह एक उच्चतर कानून, प्रकृति के कानून, हेतु अपील करता है। उदाहरण के लिए, जब यूनानी तानाशाह क्रेयन ने एण्टीगोन को अपने मृत भाई को दफ़नाने से रोका, तो उसने इस आधार पर इस आदेश की अवहेलना की कि उच्चतर कानून, प्रकृति का कानून, कहता है कि मृत का सम्मान किया जाना चाहिए। विवेकपूर्ण आपत्ति पर चर्चा यह दर्शाती है कि 'सत्ता का अर्थ सिर्फ व्यक्ति की इच्छा पूरी किए जाने की योग्यता ही नहीं, बल्कि बलप्रयोग की धमकी देकर ऐसा किए जाने की योग्यता भी है'।

निष्कर्ष में, हम कह सकते हैं कि राज्य की संप्रभुता, राजनीति के प्रयोजन से, अवपीड़क की सत्ता की सर्वोच्चता के रूप में परिभाषित की जानी चाहिए, न कि कानूनी प्रधिकार के रूप में। क्योंकि, जो संप्रभु है, वही अपने दावे को **प्रमाणित** कर सकता है, और राज्य निश्चित रूप से ऐसा करता है क्योंकि वह सशस्त्र बल की सत्ता रखता है।

सत्ता-सिद्धांत को जैसा कि पहले कहा गया है, हॉब्स के 'लिवाइअॅथॅन' में पहली बार शानदार अभिव्यक्ति मिली। हॉब्स का कहना है कि आदमी सत्ता और अधिक से अधिक सत्ता की इच्छा रखता है, जो व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मूल कारण बन जाता है। परन्तु साथ ही, मनुष्य शान्तिपूर्वक रहना चाहता है, ताकि उस सत्ता का उपभोग कर सके जो उसके पास है। अतः वह एक सर्वमान्य सत्ता के अधीन रहने की आदत डाल लेता है। हॉब्स के बाद हेगैल ने अंतरराष्ट्रीय नैतिकता संबंधी सभी नीतिशास्त्रों को एक तरफ किए जाने की हद तक राज्य की संप्रभु सत्ता की निर्मुक्ति की। वर्तमान सदी में इस सिद्धांत के अग्रणी पक्षधरों में प्रोफ़ेसर एच.जे. मॉर्गेन्थउ का उल्लेख किया जा सकता है, जिनका कहना है कि राजनीति और कुछ नहीं बस सत्ता हेतु संघर्ष है। सत्ता-सिद्धांत ने अपनी ठोस अभिव्यक्ति पाई जब इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी ने यह घोषणा की कि 'न कुछ राज्य के विरुद्ध, न कुछ उससे ऊपर' जिसने फासीवाद की विचारधारा को जन्म दिया।

सत्ता-सिद्धांत संबंधी ऊपर दिए गए पूरे विश्लेषण में, सत्ता केवल एक राजनीतिक अर्थ में ही बोल कर व्यक्त की जाती है। तथापि सत्ता में स्वयं उसके भीतर काफी कुछ और भी शामिल है, जैसे आत्मा, मन, और किसी के विचारों की शक्ति। संदर्भ इस प्रसंग में महात्मा बुद्ध से गाँधीजी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं, जिन्होंने विश्व में अपनी विचारशक्ति और विचारधारा से अवगत कराया।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलायें।

1) राजनीति-सिद्धांत में सत्ता की संकल्पना किस प्रकार की गई है? स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या सत्ता में बलप्रयोग हमेशा शामिल होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14.3.1 उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत

उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत में सत्ता को विकासात्मक और निष्कर्षात्मक क्षमताओं के साथ पहचाना गया है। दूसरे शब्दों में, सत्ता का अर्थ है मानवीय क्षमताओं के प्रयोग और विकास संबंधी योग्यता। इसके दो पहलू हैं, निष्कर्षात्मक और विकासात्मक, जिनको क्रमशः नैतिक और आनुभाविक आयाम कहा जा सकता है। चूंकि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमताओं का प्रयोग व विकास किए जाने की योग्यता ''सत्ता'' बन जाती है, इसको मनुष्य की विकासात्मक शक्ति कहा जा सकता है और यह एक गुणात्मक लक्षण लिए होती है। इसके अलावा, आदमी को अपनी क्षमताओं का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए, ताकि वह दूसरों से लाभ प्राप्त कर सके। यह बात निष्कर्षात्मक शक्ति की धारणा की ओर अभिमुख करती है। यहाँ हम देखते हैं कि सत्ता का उदारवादी सिद्धांत राजनीतिक सत्ता संबंधी धारणा को मुद्रा-शक्ति से जोड़ता है। चुनाव, प्रचार, अनुनय, नियंत्रण आदि सभी मुद्रा-शक्ति की भूमिका से ही नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि लाखों लोगों की नियति अक्सर राष्ट्र की मुद्रा पर एकछत्र अधिकार रखने वाले दर्ज़न भर परिवारों द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तथापि, यह सिद्धांत लोकतंत्र के आधिक्यीकरण पर भी ज़ोर देता है, ताकि मानवहित-परायणता मूल्यों को नुकसान न पहुँचे।

14.3.2 मार्क्सवादी सिद्धांत

मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति और अर्थशास्त्र को सत्ता-साधन के माध्यम से जोड़ता है। मार्क्स ने राजनीति-सत्ता को उन लोगों के पास होने के रूप में देखी, जो उत्पादन-साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, न कि श्रम बल के पास जिसका ऐसे उत्पादन-साधनों पर नियंत्रण थोड़ा-सा अथवा बिल्कुल नहीं है। यह ''उत्पादन संबंध'', इसीलिए राजनीतिक सत्ता वितरण को निर्धारित करता है। *कम्युनिस्ट घोषणापत्र* में, मार्क्स और एंजिल्स कहते हैं कि तथाकथित राजनीतिक सत्ता महज़ एक वर्ग द्वारा दूसरे दूसरे को दबाये जाने का संगठित रूप है और दूसरे, राजनीतिक सत्ता ही व्यापक और प्रभावी शक्ति है, जो एक प्रबल वर्ग एक सभ्य समाज में अपने प्राधान्य को कायम और बचा कर रखने में प्रयोग करता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ग-सत्ता ''स्वयं राज्य द्वारा कब्जा किए जाने की ओर प्रवृत रहती है, और उसको खुशी-खुशी समर्पित भी कर देती है; उन्नत पूँजीवाद वाली सामान्य परिस्थिति में भी, राज्य उस प्रबल वर्ग द्वारा किए जाने वाले अधिक से अधिक प्रकार्यों को अपने अधीन कर लेता है, जिसका इन प्रकार्यों के निष्पादन में एक बड़ा योगदान होता है''।

इस प्रकार, मार्क्स राजनीतिक सत्ता और विद्यमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के बीच एक घनिष्ट एकीकरण पाते हैं और यह अस्थायी है - राज्यहीन और वर्गहीन समाज के उदय के साथ ही यह गायब हो जायेगा।

14.3.3 सत्ता पर माइकल फूको के विचार

एक उपदेश और व्यवहार के रूप में 'सत्ता' के विषय में ग़लतफहमियाँ और भ्रांतियाँ फैली हैं। इस संबंध में माइकल फूको के लीक से हटकर सत्ता-संबंधी विश्लेषण का वास्ता दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि अनेक स्थानों पर संबंधों में व्यक्त, एक प्रवाह के रूप में सत्ता के गहन निहितार्थों को प्रस्तुत किया जा सके।

''सत्ता'' की सामाजिक दृश्यघटना हेतु फूको का पहुँच मार्ग निम्नलिखित उद्धरण में स्पष्ट दिखाई देता है :

''हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्यों कुछ लोग हावी होना चाहते हैं, वे किसकी फिराक में रहते हैं, उनकी समस्त रणनीति क्या है? हमें इसकी बजाय यह पूछना चाहिए कि वर्तमान अधीनीकरण के स्तर पर उन निरंतर और निर्बाध (uninterrupted) प्रक्रियाओं के स्तर पर घटनाक्रम कैसे चलता है, जो हमारी देहों को अधीन बनाती हैं, हमारे हाव-भाव को संचालित करती है, हमारे व्यवहार आदि को प्रेरित करती हैं। दूसरे शब्दों में, स्वयं से यह पूछने के बजाय कि अपने उदात्त पार्थक्य (lobtyisolation) में संप्रभु हमें कैसा प्रतीत होता है, हमें यह खोजने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ कि जनता प्राणियों, बलों, ऊर्जाओं, वस्तुओं, इच्छाओं, विचारों आदि की बहुलता के माध्यम से क्रमशः, उत्तरोत्तर, वस्तुतः और भौतिक दृष्टि से गठित हुई।''

फूको, इस प्रकार, सत्ता की संप्रभुता-केन्द्रिक (हॉब्सियन) धारणा से उसकी ओर चलते हैं, जिसे वह ''अनुशासनात्मक शक्ति'' अथवा सत्ता की सूक्ष्म क्रियाविधियों के नाम से पुकारते हैं - प्रभुत्व की तकनीकें एवं चालें - जो, अनुशासनात्मक जुल्मों की एक घनिठता से जुड़ी झँझरी के रूप में, सामाजिक निकाय को एक स्थिर अवस्था (एक प्रसामान्यीकरण वाला समाज – a society of normalization) प्रदान करती हैं।

राज्य इस स्थिति में एक अलौकिक परा-शक्ति बन जाता है, जो अनेक व अनिश्चित सत्ता-संबंधों की एक पूरी शृंखला में जड़ से जमा होता है, और जैसा कि फूको दावा करते हैं, ''राज्य उन सत्ता-संबंधों की एक पूर्ण संख्या के संहिताकरण में रहता है, जो उसके कार्यव्यापार को संभव बनाते हैं''।

फूको के विश्लेषण ने समाज में सत्ता पर नज़र रखने के नए तरीके सुझाए हैं, उतने नहीं जितने कि प्रभुत्व और अधीनीकरण के सामाजिक रूप से विन्यस्त संबंधों के रूप में एक न्यायविधान-संबंधी संकल्पना सुझाती है।

फूको के अनुसार, आम बोलचाल में, सत्ता को ह्रासवादी (reductionist) दृष्टि से देखा गया है। यही है, सर से पाँव तक अवलोकन जिसमें सत्ता को हमेशा एक प्रभावशाली बल और एक दृश्यमान व वास्तविक परा-शक्ति के रूप में देखा गया है। वे लोग जो शीर्ष पर

सत्ताधारक हैं, पक्षपाती रूप से अनेक राजनीतिक तंत्रों व युक्तियों - विशेष तकनीकों, ज्ञान, राजनीतिक सत्ता के विहित क्रियाकलापों - का लाभ उठाने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, उनके पास सत्ता के साधन होते हैं जिन तक उनकी पहुँच उनकी सामरिक स्थिति के कारण होती है। एक वरिष्ठ दफ़्तरशाह, अपने ओहदे की वजह से किसी योजना को आसानी से मंजूर करा सकता है, अथवा यदि किसी बात से वह संतुष्ट न हो तो उसे रुकवा सकता है।

फूको के विश्लेषण में, सत्ता-संबंधी सभी दृश्य घटनाओं का श्रेय विद्यमान सत्ता-तंत्रों को देना एक प्रकार का अयथार्थवादी ह्रासवाद है। सत्ता, उनकी दृष्टि में, वह और वहाँ नहीं है, जैसा कि लोग सोचते हैं। वास्तव में, यह विभिन्न स्रोतों की एक भीड़ से आते विभिन्न प्रवाहों की व्यवस्था करती सैकड़ों सूक्ष्म प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति है। ह्रासवादी दृष्टिकोण इस बात को नहीं मानता कि ''राज्य अपने तंत्रों की संपूर्ण सर्वशक्तिशालिता के वास्ते, वास्तविक सत्ता-संबंधों के पूरे क्षेत्र को घेर पाने में सक्षम होने से दूर है, और इसके अतिरिक्त... राज्य अन्य, पहले से ही विद्यमान, सत्ता-संबंधों के आधार पर नहीं चल सकता है''।

सत्ता की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए हमें संप्रभुता की न्यायविधान संबंधी-इमारत, राज्य तंत्रों व साथ चल रही विचारधाराओं के परे जाना पड़ता है। इसकी बजाय ध्यान प्रभुत्व स्थापन एवं सत्ता के भौतिक संचालकों पर दिया जाना चाहिए। हमें अधीनीकरण के प्रकार एवं स्थानीकृत व्यवस्थाओं के सुझाव व उपयोगों पर और राजनीतिक तंत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

फूको इस सत्ता को ऐसी 'ग़ैर-संप्रभु सत्ता' कहते हैं, जो संप्रभुता के विधान से बाहर रहती है। यह अनुशासनात्मक सत्ता होती है, जो सामाजिक निकाय की सम्बद्धता को सुनिश्चित करने के आशय से अनुशासनात्मक बलप्रयोगों की एक करीब से जुड़ी झँझरी का आकार ले लेती है। जैसा कि फूको ने उपदेश दिया : ''हमें सत्ता के अध्ययन में लिवाइअॅथन मॉडल से दूर रहना चाहिए। हमें कानूनी संप्रभुता और राज्य संस्थाओं के सीमित क्षेत्र से निकलना चाहिए और इसकी बजाय सत्ता-संबंधी अपने विश्लेषण को प्रभुत्व स्थापना की तकनीकों व दाँव-पेंचों के अध्ययन पर आधारित करना चाहिए...।''

14.4 प्राधिकार क्या है?

राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए हमें राज्य के तीन पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए - बल, सत्ता, और प्राधिकार। राज्य की धारणा हमें सत्ता का स्मरण कराती है, जो निश्चित प्रक्रियाओं व ज्ञात नियमों के अनुसार प्रयोग की जाती है। राज्य कानून के नाम पर प्रयोग किया जाने वाला बल ही तो है। बल उस समय सत्ता बन जाता है, जब राज्य के कानूनों द्वारा निर्धारित की गई निश्चित प्रक्रियाओं द्वारा उसके व्यवहार से यादृच्छिकता के तत्त्व को हटा दिया जाता है। निश्चित नियमों के अनुसार प्रयुक्त इस सत्ता की मान्यता इन नियमों के अधीनता-स्वीकरण हेतु बाध्यता की मान्यता को इंगित करती है। इस अर्थ में 'राज्य' शब्द इन बाध्यताओं हेतु एक संदर्भ शब्द प्रदान करता है। यह महज एक ऐसे बल को इंगित नहीं करता, जो वास्तविक रूप से अस्तित्व में है, अथवा यह सत्ता जो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार स्वयं का अनुभव कराती है, बल्कि एक प्राधिकरण को इंगित करता है जो प्राधिकार-प्राप्त एवं व्यवहार में न्यायोचित माना जाता है।

14.5 प्राधिकार का वर्गीकरण

जर्मन समाजवादी मैक्स वैबर ने एक आधुनिक राज्य में प्राधिकार के स्रोतों का एक त्रिआयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये हैं: युक्तिसंगत-विधिसंगत, परम्परागत और चमत्कारिक प्राधिकार।

युक्तिसंगत-विधिसंगत प्राधिकार स्पष्ट है और आदेश देने व उन्हें मनवाने का अधिकार रखता है। ऐसा वह सोच-समझकर बनाए गए उन नियमों की व्यवस्था के भीतर रखे गए कार्य के आधार पर करता है, जो हमारे अधिकारों व कर्त्तव्यों को तय करते हैं। दफ़्तरशाही युक्तिसंगत-विधिसंगत प्राधिकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब कोई नागरिक एक दफ़्तरशाह के प्राधिकरण को स्वीकार करता है, वह ऐसा और किसी कारण से नहीं बल्कि उन शक्तियों के कारण करता है जो एक कानूनी व्यवस्था के द्वारा उस अधिकारी को प्रदान की गई हैं। पद जो कि व्यक्ति धारण करता है, महत्त्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति-विशेष स्वयं।

परम्परागत प्राधिकार वहाँ होता है जहाँ एक व्यक्ति, जैसे कि राजा अथवा कबीले का सरदार, चिरकालिक परंपरा के अनुसार शासन के एक उच्च पद पर आसीन है और उसका आज्ञापालन किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति परम्परा की अलंध्यता (sanctity) को स्वीकार करता है। धार्मिक प्राधिकार इसी प्रकार का होता है।

करिश्माई अथवा चमत्कारिक प्राधिकार उन असाधारण व्यक्तिगत गुणों के स्वत्व पर आधारित होता है, जो किसी व्यक्ति को एक नेता स्वीकार किए जाने की वजह होते हैं। इनमें संत-सुलभ साधुता वाले गुण हो सकते हैं, जो अपने स्वामी को धार्मिक प्राधिकार प्रदान करते हैं अथवा असाधारण वीरता, विचार-शक्ति, भाषण-कला संबंधी श्रेष्ठ गुण होते हैं जो राजनीति में, युद्धों में व अन्य प्रकार के उद्यमों में निष्ठापूर्ण समर्पण वाला एक अनुयायी दल बना देते हैं। करिश्माई नेता के पास ईश्वरीय कान्ति एवं असाधारण गुणों का वरदान होता है। लैनिन अथवा महात्मा गाँधी ने अपनी स्थिति अपने चमत्कार और गुणों के कारण ही बनाई। तीन स्रोतों में से पहले दो एक ही समूह में आते हैं - जहाँ अभिकर्त्ता प्राधिकार-स्रोत भिन्न हैं। यहाँ स्रोत की समालोचना बिना अभिकर्त्ता की आलोचना किए बिना की जा सकती है और अभिकर्त्ता, इसी कारण, एक सापेक्ष रूप से स्थिर अवस्था का आनन्द उठाता है। परन्तु करिश्माई प्राधिकार के मामले में, स्रोत और प्राधिकार अभिकर्त्ता एक ही होते हैं। इस कारण से, स्रोत के खिलाफ़ कोई भी आलोचना साथ ही अभिकर्त्ता के खिलाफ़ भी जा सकती है। अतएव, यहाँ अभिकर्त्ता किसी स्थिर अवस्था का आनन्द नहीं उठाता। एक करिश्माई प्राधिकार संस्थानीकरण किए जाने की प्रवृत्ति रखता है। इसी को वैबर 'चमत्कार का नित्यक्रमबद्धीकरण' (routinization of charisma) कहते हैं।

वैबर, तथापि, यह मानते थे कि इन श्रेणियों में कोई भी शुद्ध रूप में नहीं है। ब्रिटिश पद्धति प्राधिकार के परम्परागत एवं युक्तिसंगत-विधिसंगत स्रोतों का एक मिश्रण है। भारत में वैबर ने युक्तिसंगत-विधिसंगत प्राधिकार को करिश्माई प्राधिकार से जोड़ा।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलायें।

1) प्राधिकार के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सत्ता सिद्धांत के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14.6 सत्ता व प्राधिकार संबंधी धारणाओं के बीच भेद

''सत्ता'' और ''प्राधिकार'' की संकल्पनाएँ परस्पर संबंधित हैं। परन्तु इसमें एक भेद किया जाना आवश्यक है। दोनों शब्द भिन्न गुण धर्मों को दर्शाते हैं। परन्तु उनकी तार्किक व्याकरण गलत समझे जाने के कारण मुश्किल पैदा हुई है। तथपि, यह भिन्न नहीं, बल्कि उन सम्बद्ध हस्तियों के नाम हैं, जिनमें से एक न एक पर हम किसी न किसी प्रकार निर्भर रहते हैं।

जब हम किसी मंत्री को ये या वो करने का अधिकार दिए जाने की बात करते हैं, हमारा आशय उसे प्राधिकार दिए जाने से होता है। जाँ बोदां अपनी पुस्तक **द सिक्स बुक्स ऑफ रिपब्लिक** में कहते हैं, ''संप्रभुता राज्य की निरंकुश और शाश्वत सत्ता होती है, यथा, शासन की सर्वोच्च सत्ता।'' उनका विवेचन यह छाप छोड़ता है कि संप्रभुता का अर्थ शब्द के सहज भाव में सत्ता ही है। यदि निरंकुश सत्ता से बोदां का अभिप्राय प्रभावी आदेश जारी करने की योग्यता से है, सटीक रूप से इसे **सत्ता** कहा जायेगा। यदि उनका अभिप्राय हक़दारी अथवा आदेश जारी करने और उनका पालन कराए जाने के अधिकार से ही है, तो उसे **प्राधिकार** कहा जायेगा। संप्रभुता की उनकी यह व्याख्या स्पष्ट करती है कि उनका अभिप्राय प्राधिकार से है, जबकि ''निरंकुश सत्ता'' संबंधी उनकी अभिव्यक्ति का प्रयोग पूववर्ती का संकेत देती है।

प्रोफ़ेसर राफ़ैल अपनी पुस्तक **प्राब्लम ऑफ द पॅलिटिकॅल फ़िलोसॅफ़ि** में ''सत्ता'' शब्द के तीन भिन्न अर्थ लगाते हैं। प्रथम, सत्ता अथवा शक्ति का सबसे व्यापक अर्थ सहज रूप से **योग्यता** ही है। हम डायनॅमो की शक्ति, राजनीतिक शक्ति अथवा इच्छा शक्ति के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे, हम सत्ता की बात एक सामाजिक संदर्भ में करते हैं, जब हम सत्ता को योग्यता के एक विशिष्ट प्रकार के रूप में लेते हैं, यथा **दूसरे लोगों से वह काम कराने की योग्यता जो हम उनसे करवाना चाहते हैं।** कोई व्यक्ति दूसरों से वह काम कराने के योग्य हो सकता है जो वह करना चाहता है, क्योंकि वह एक विशेष पद पर आसीन है, अथवा क्योंकि वह, उनके इंकार करने पर उनके लिए मुश्किल पैदा करने की शक्ति रखता है। ये दो उदाहरण राजनीतिक सत्ता व्यवहार को दर्शाते हैं और विवाद की स्थितियों से दूसरा प्रसिद्ध है। तीसरे, दमनकारी सत्ता होती है, जो हम दूसरों की अनिच्छा होने पर उनसे वह काम करवाने के लिए उच्च बल प्रयोग करने की धमकी का प्रयोग करते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं। चूँकी दमनकारी सत्ता राजनीतिक संघर्ष में इतनी विख्यात है कि ''सत्ता'' शब्द, जिसका अर्थ पहले किसी भी प्रथम की योग्यता था, बाध्यकरण से जुड़ गया है।

इस प्रकार, ''सत्ता'' शब्द के तीन अर्थ होते हैं जो ऊपर उल्लिखित हैं, और इसको सशक्तीकरण के साथ अथवा उसके बग़ैर प्रयोग किया जा सकता है। जब हम किसी को कानूनी शक्तियाँ देने की बात करते हैं, तो अक्सर 'सत्ता' का अर्थ 'प्राधिकार' लेते हैं। एक सत्ताधारक व्यक्ति के पास एक पद-विशेष होता है (यथा, एक मंत्री अथवा एक राष्ट्रपति); इसका मतलब है कि उसके पास प्राधिकार है और इस स्थिति की बदौलत वह दूसरों से उस काम को कराने मे समर्थ है, जो वह उन्हें करने को कहता है; उसकी सत्ता प्रयोग का प्रधिकार ही है। यही करण है कि 'सत्ता' शब्द का प्रयोग 'प्राधिकार' का अर्थ बताने के लिए किया जा सकता है।

14.6.1 प्राधिकार के निहित अर्थ

प्राधिकार किसी काम को करने का अधिकार है। अधिकार के दो अर्थ हैं : 1) यहाँ, कार्यवाही का अधिकार और 2) प्रापण (recipience) का अधिकार। कार्यवाही का अधिकार कुछ करने का हक है; उदाहरण के लिए, हड़ताल करने का कर्मचारी का हक़ और तालाबंदी करने का नियोक्ता का हक़। इस अर्थ में, अधिकार एक आज़ादी है। प्रापण का अधिकार कुछ करने का एक दावा है; उदाहरण के लिए, यदि 'ए' को पचास रुपये का हक है, जो 'बी' को उसे चुकाने हैं, यह 'ए' का अधिकार है कि 'बी' से पचास रुपये प्राप्त करे। यह 'ए' का अधिकार 'बी' के विरुद्ध है और यह कर्ज चुकाने की 'बी' की बाध्यताओं से ताल्लुक रखता है।

अब, आदेश देने का प्राधिकार ही प्रापण का अधिकार है। उदाहरण के लिए, जब एक मंत्री विधान द्वारा विनियमन करने हेतु प्राधिकृत (अथवा सशक्तीकृत) है, यह न सिर्फ उसे कुछ करने की अनुमति देता है (यथा, वह कार्यवाही का अधिकार रखता है) वरन् नागरिकों पर एक दायित्व भी डालता है कि वे उसके द्वारा किए गए विनियमन को सुनिश्चित करें। इस प्रकार, उसका प्राधिकार उसे उनको जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

दोनों अर्थों में - कुछ करने का अधिकार और आज्ञापालन कराने का अधिकार - प्राधिकृत होने का अधिकार एक सुविधा है और इसी प्रकार सत्ता भी। अन्य लोगों से वह कराने का अधिकार जो कोई व्यक्ति चाहता है, इस तथ्य पर आधारित हो सकता है कि वह विशेष पद धारण करता है। उस पद को रखने के आधार पर ही वह व्यक्ति अन्य लोगों की कुछ आवश्यकताएँ पूछने का अधिकार रखता है, और वे उस काम को करते हैं, जो वह चाहता है, क्योंकि वे उसके प्राधिकार को स्वीकार करते हैं। अपना प्राधिकार और दूसरों द्वारा इसकी स्वीकृति ही वह चाहता है। हम इसीलिए प्राधिकार को मान सकते हैं कि वह दूसरे लोगों से वह काम करवाने की एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता या शक्ति है, जो कोई व्यक्ति उनसे करवाना चाहता है। यह विशिष्ट योग्यता या शक्ति दमनकारी सत्ता के समकक्ष है। दमनकारी बल लोगों से वह काम करने का एक तरीका है, जो कोई व्यक्ति चाहता है; यह सत्ता का एक विशिष्ट रूप है। प्राधिकार रखना, बशर्ते वह स्वीकृतिप्राप्त हो, उसका दूसरा रूप है।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से मिलायें।

1) राजनीति में प्राधिकार का निहितार्थ क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या सत्ता और प्रधिकार परस्पर सम्बद्ध हैं? उनका संबंध स्पष्ट करें और दोनों के बीच भेद पर प्रकाश डालें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14.7 सारांश

सत्ता, इस प्रकार, राजनीतिक-सिद्धांत में मुख्य संकल्पनाओं में से एक है। यह दूसरों पर नियंत्रण करने की योग्यता है और उनसे वह करवाती है जो कोई व्यक्ति चाहता है। यह नियामक व आनुभविक, दोनों होती है; यथा, यह एक तथ्य भी है और साथ ही एक मूल्य भी, जो पालनीय है। यह बहुत व्यापक शब्द है जो संबद्ध विषयों, जैसे प्राधिकार, प्रभाव, नियंत्रण इत्यादि, के साथ पहचाना जाता है। यह राजनीतिक वैधता के मामले में अभिन्न रूप से जुड़ा है। विधिसंगत सत्ता प्राधिकार है। दूसरी ओर, प्रभाव एक अधिक व्यापक शब्द है, जिसमें दण्डात्मक कदम नहीं उठाये जा सकते। सत्ता परिणामतः प्रभाव का एक विशेष उदाहरण है।

14.8 शब्दावली

आनुभविक : रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के तथ्यों व गतिविधियों पर आधारित।

उदात्तीकरण : सद्‌गुणों को धारण कर बदलाव लाना।

यादृच्छिक : दूसरों की राय पर ध्यान दिए बग़ैर उन पर सत्ता प्रयोग।

दमनकारी : बाध्यकारी, अवपीड़क।

14.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

फ्रैड्रिक, कार्ल जे.: 1958, *ऑथॉरिटि* (कैम्ब्रिज, मैसाश्यूसैट्सः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस)

बाल, ए.आर.: 1978, *मॉडर्न पॉलिटिक्स एण्ड गवर्नमैण्ट* (लण्दन : मैकमिलन)

डाल, रॉबर्ट ए.: 1976, *मॉडर्न पॉलिटिकॅल ऐनैलिसिस* (एंजेलवुड क्लिफ़्स, नई जर्सी : प्रेंटिस हाल)

रे एवं भट्टाचार्य : 1968, *पॅलिटिकॅल थिअरी : आइडियाज़ एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स* (कलकत्ता: वर्ल्ड प्रैस)

वर्मा, एस.पी.: 1975, *मॉडर्न पॅलिटिकॅल थिअरी* (दिल्ली : विकास)

14.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) राजनीतिक-सिद्धांत में सत्ता एक व्यापक अर्थ है। सत्ता भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, नैतिक अथवा बौद्धिक हो सकती है। मोटे तौर पर कहे जाने पर, यह व्यक्ति की दूसरों पर नियंत्रण करने की योग्यता है।

2) सत्ता को अव्यक्त बल कहा जा सकता है, जबकि बल एक सुव्यक्त शक्ति होता है।

बोध प्रश्न 2

1) परम्परागत, युक्तिसंगत-विधिसंगत, और करिश्माई।

2) उदारवादी दृष्टिकोण राज्य को पहले से ही एक ऐसी संस्था मानकर चलता है, जो जनता के सभी वर्गों की सेवा करती है। यह सभी नागरिकों को समानता की भी गारण्टी देता है; कानून में, वोट देने के अधिकारों में। यह राज्य को एक समदर्शी संस्था मानता है। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के ऐतिहासिक क्रमविकास में विश्वास रखता है, जो कि इसी समाज की उपज होता है जिसमें वह अस्तित्व रखता है। यह शासकों के वर्ग लक्षणों को दर्शाता है। यह समाज के वर्ग-विभाजन में भी विश्वास रखता है। उनके अनुसार राज्य विवादों का कोई निष्पक्ष विवाचक (पंच) नहीं है, क्योंकि वह शासक वर्ग का पक्षधर होता है।

बोध प्रश्न 3

1) प्राधिकार किसी काम को करने का अधिकार है। अधिकार के दो अर्थ हैं :

   i) कार्यवाही का अधिकार, और

   ii) प्रापण का अधिकार।

2) सत्ता और प्राधिकार दो भिन्न, परन्तु सम्बद्ध अस्तित्वों के नाम हैं जिनमें से एक न एक पर किसी न किसी तरह से व्यक्ति निर्भर करता है। जब किसी को कानूनी सत्ता सौंपने की बात करते हैं, तो ''सत्ता'' को अक्सर ''प्राधिकार'' का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।